

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक-एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/54/59 जयपुर दिनांक 09/09/2015

जाति प्रमाण-पत्र - दिशा निर्देश

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. जाति प्रमाण पत्र :- जाति प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये समय-समय पर जारी किये गये गजट नोटिफिकेशन / अधिसूचनाओं में शामिल जातियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।
2. जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी:- जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया:-
 - (A) आवेदक-
 - (i) राजस्थान राज्य का मूल निवासी :- ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग का राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
 - (ii) अन्य राज्यों से माईग्रेट होकर आये व्यक्तियों के संबंध में :- यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माईग्रेट होकर शिक्षा / रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा यही से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की संतान को राजस्थान राज्य में जन्म के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन हेतु पात्र होगी।
 - (B) आवेदन पत्र का प्रारूप एवं सलंगन किये जाने वाले दस्तावेज :-
 - (i) SC/ST हेतु आवेदन परिशिष्ट 'अ' अनुसार
 - (ii) OBC/SBC हेतु आवेदन परिशिष्ट 'क' अनुसार

सलंगन दस्तावेज सूची

- (i) राशनकार्ड / मतदाता सूची / अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज / किरायोनामा / गैस कनेक्शन / बिजली, पानी, टेलिफोन का बिल / शिक्षा प्रमाण-पत्र।
- (ii) पिता की जाति का साक्ष्य हेतु प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो) मूमि की जमा बन्दी, आय प्रमाण-पत्र हेतु (जिनके पास आई.टी.आर एवं राज्य/केन्द्रीय

M 9.9.15

अधिकारी/कर्मचारी की वेतन पत्र/पे-स्लीप नहीं है तो निर्धारित प्रमाण-पत्र में दो अलग-अलग राज्य केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सलंगन करें। आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज/ मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख हो यदि उपलब्ध हो तो आवेदन पत्र के साथ सलंगन किया जावेगा।

- (III) OBC/SBC के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा देय साक्ष्य (परिशिष्ट-घ) अनुसार, उत्तरदायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/ सरपंच / राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से है।
- (IV) आवेदन पत्र में आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति में उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड में उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

(C) आवेदन जांच एवं आवेदन पत्र तथा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप-

(I) सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक यथा पटवारी/गिरदावर आदि से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गये पत्रांक संख्या BC.12025/276- SCT.1 22 मार्च 1977 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-k) आवेदक के पैतृक/ स्वयं के राजस्व रिकार्ड आदि में उसके जाति का परीक्षण करवाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड/नगरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकार्ड का भी जांच/परीक्षण किया जा सकेगा जिसमें उसके स्वयं /पैतृक जाति की पुष्टि होती हो। परीक्षण उपरान्त जाति प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषा में एक साथ ही जारी किया जायेगा।

- (II) SC/ST एवं OBC/SBC हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 'ब' 'ख' 'ग' अनुसार ही मान्य होगा।
- (III) OBC/SBC के लिये जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ट ख व ग के अनुसार क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी पैरा 3 को काटकर (Delete) कर जारी किया जायेगा।
- (IV) भारत सरकार में नियुक्तियों के लिये परिशिष्ट-घ अनुसार

(D) जाति प्रमाण-पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति :- संक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित परिस्थितियों में दुबारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

- (I) प्रमाण-पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (Duplicate Copy) जारी की सकेगी।
- (II) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।
- (III) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए मांग करने पर नये फोटो युक्त नवीन प्रमाण-पत्र (Revised Certificate) जारी किया जावेगा।

(IV) यदि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी आवेदक के आवेदन को किसी कारण से खारिज/निरस्त करता है तथा आवेदक यह महसूस करता है कि उसका आवेदन पत्र एवं उसके साथ समस्त सलंगन दस्तावेज सत्य है तथा वह उक्त जाति प्रमाण-पत्र

मे जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष को लिखित मे समस्त साक्ष्यो सहित आवेदन कर सकेगा। जिला स्तरीय समिति उक्त आवेदन पत्र का गहनता से जांच/परीक्षण कर यदि समिति का यह निष्कर्ष रहता है कि आवेदक का आवेदन पत्र सही है तो वह संबन्धित सक्षम अधिकारी को नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निर्देश दे सकेगी। एवं यदि आवेदन पत्र खारिज योग्य पाया जाता है तो उसे समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा परन्तु निरस्त का आदेश कारणो सहित जारी किया जायेगा।

4. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि :-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि OBC के लिये संबन्धी प्रमाण-पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर मे नही होने संबन्धी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
2. क्रिमीलेयर मे नही होने संबन्धी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर मे नही होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नही है तो ऐसी स्थिति मे उससे सत्यापित शपथ-पत्र (परिशिष्ट-इ) लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

5. जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक द्वारा उक्त जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान मे प्रवेश लेने, किसी नियोक्ता के अधीन सेवा मे नियोजित होने या अन्य किसी प्रयोजन के लिए यदि उक्त जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई आरक्षण/रियायत प्राप्त की गयी हो तो शैक्षणिक संस्थान, नियोक्ता या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन करवाये जाने की स्थिति मे जिला कलक्टर द्वारा उक्त जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन करवाया जाकर सत्यापन रिपोर्ट संबन्धित प्राधिकारी को उनके वांछितानुसार भिजवायी जा सकेगी। उक्त सत्यापन रिपोर्ट 6 माह में आवश्यक रूप से भिजवाई जानी आवश्यक होगी। यदि कोई प्रकरण सतर्कता समिति एवं छानबीन समिति मे विचाराधीन है तथा उसमे अन्तिम निर्णय मे विलम्ब हो रहा हो तथा शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता के यहां पर निर्धारित अंतिम तिथि निकल गयी हो तो शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता द्वारा अस्थायी (PROVISIONAL) प्रवेश/नियुक्ति दी जाएगी तथा वह प्रवेश/नियुक्ति छानबीन समिति के निर्णय के अधीन रहेगी।

6. जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के शंकाप्रसंद, फर्जी / झूठा जाति प्रमाण-पत्र जारी हो जाने की स्थिति मे एवं जाति प्रमाण-पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जाति प्रमाण-पत्र के परीक्षण/जांच हेतु प्रत्येक जिले मे एक जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सतर्कता समिति का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.6(10)प्र0सु0./अनु. 3/2011 दिनांक 23.07.15 को गठन किया गया है। (परिशिष्ट-बी) जो कि निम्न प्रकार से है :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2. | अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) | समन्वयक |
| 3. | अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परिषद | सदस्य |
| 4. | संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड अधिकारी | सदस्य |
| 5. | जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | सदस्य |

उपरोक्त समिति में झूठे फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रमाण-पत्रों के मामले दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा संबंधित पक्षों को उक्त निर्णय से फंजीकृत उक्त द्वारा अविलम्ब सूचना दी जावेगी। परन्तु उक्त सूचना अधिकतम एक माह में दी जावेगी तथा नाबालिग की स्थिति में उसके माता-पिता/संरक्षक को तत्काल सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा। तथा निर्णय की सूचना शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को भी तत्काल दी जावेगी।

जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता का परीक्षण करने के समय सम्बन्धित पक्षों तथा शिकायतकर्ता एवं जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा एवं नाबालिग की स्थिति में उसके माता-पिता/संरक्षक को ऐसे नोटिस जारी किये जा सकेंगे।

7. जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य स्तरीय छानबीन एवं सतर्कता समिति में

अपील :-

जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असुतष्ट होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेंगी।

झूठे एवं शंकास्पद/फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(10)प्र.सु.वि/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.2011 (परिशिष्ट-ए) द्वारा निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है :-

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | सदस्य |
| 3. शासन सचिव, जनजातिय विकास विभाग | सदस्य |

उक्त राज्य स्तरीय छानबीन समिति जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति से प्राप्त निर्णय के विरुद्ध अपील दायर होने पर युक्तियुक्त समय में उक्त जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय का परीक्षण करेगी तथा आवश्यकता होने पर अपने स्तर पर पुनः संबंधित प्रकरण यथा जाति प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य/दस्तावेज एवं जिला स्तर पर की गयी जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर अपने स्तर पर निर्णय करेगी। एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय उचित है तो अपील को राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। एवं जिला स्तरीय समिति का निर्णय अनुचित पाये जाने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में उचित आदेश जारी किया जा सकेगा जिसकी पालनाके लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी बाध्य होगा एवं इस निर्णय को केवल माननीय उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी। छानबीन समिति द्वारा पारित किए गये निर्णय को शैक्षणिक संस्था/नियोक्ता को तत्काल निर्णय से अवगत कराया जावेगा।

8. राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ :-

जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल करने बाबत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11(1)/छा0स0/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/40560 दिनांक 04.08.14 द्वारा निम्न प्रकार से एक राज्य प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।(परिशिष्ट-सी)

1. उपनिदेशक(पिजा0) मुख्यवास सान्याअवि जयपुर।
2. विधिअधिकारी / विधि सहायक मुख्यवास सान्याअवि जयपुर।

- 3. संबंधित समाज कल्याण अधिकारी
- 4. संबंधित संयुक्त शासन सचिव / उपशासन सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विभाग जयपुर।
उपरोक्त प्रकोष्ठ छानबीन समिति के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

9. झूठे जाति प्रमाण पत्रों के संबन्ध में दण्डात्मक कार्यावाही:-

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये जाति प्रमाण पत्र के संबन्ध में जाँच के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों / साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसके विरुद्ध आवश्यक रूप से कानूनी कार्यावाही की जा सकेगी। इसके अलावा जाति प्रमाण जारी करने वाले सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा यदि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंघन करके अवेध प्रमाण पत्र जारी किया है तो उन दोषी कार्मिकों / प्राधिकारियों के विरुद्ध भी आवश्यक रूप से कानूनी कार्यावाही की जावेगी।

10. रिकार्ड संचारण -

(i) जाति प्रमाण-पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि व्यक्ति के पूर्वजो एवं भावी पीढी की पहचान का आधार होता है जाति प्रमाण-पत्र के संबन्ध में प्रत्येक तहसील कार्यालय में एक संकलित स्थायी रजिस्टर का संचारण करते हुए उक्त समस्त रिकार्ड साफ-सुथरे एवं अच्छी सुरक्षा में रखे जायेगे तथा उक्त जाति प्रमाण-पत्रों का आजीवन स्थाई रिकार्ड संचारित किया जावेगा। उक्त रिकार्ड निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध करवाये जायेगे।

(ii) रिकार्ड रखरखाव अवधि-

(क) जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों का एक संकलित रजिस्टर / रिकार्ड संचारित किया जायेगा जो कि स्थायी रूप से आजीवन रहेगा।

(ख) व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखी जायेगी तथा उसकी रखरखाव की अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होगी।

11. ऑन लाईन आवेदन :- अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेजो सहित सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत ई-मित्र केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले में नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किये जाने वाले सीएससी केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जायेगा। सभी जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वेबसाइट से ऑन-लाईन जारी किये जायेगें। आवेदन पत्र में आवेदक के पास आधार नम्बर / मामाशाह कार्ड होने की स्थिति में उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये मामाशाह कार्ड में उसका नाम अंकित है तो मुखिया को जारी मामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

उक्त दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

20
9.7.2015
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सान्याअवि/15/ 54160-290 जयपुर दिनांक 09/09/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय सान्याअवि राजस्थान सरकार जयपुर
- 2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 3) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 4) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 5) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 8) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 9) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 10) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 11) समस्त जिला कलक्टर.....
- 12) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 13) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
- 14) समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
- 15) गार्ड फाईल

M 9.9.15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट - अ

जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति)

कोर्ट फीस स्टाम्प

2/- रुपये

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को / से चयन करें)

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का मामाशाह कार्ड संख्या

1. प्रार्थी का नाम*

2. पिता का नाम*

3. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(अभिरांघा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावे)

4. गाँव/शहर*

तहसील*

जिला*

5. जन्म दिनांक:

जन्म स्थान

उम्र

6. लिंग*

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति :

विवाहित

अविवाहित

7- धर्म (आवेदक)*:

जाति* :

अनुसूचित जाति / जनजाति

उप जाति*

8. धर्म (पिता का)*

जाति* :

उप जाति*

9. प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है*

10. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है*

हाँ

नहीं

11. मोबाईल नम्बर

(जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

जन्म दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी []
पुत्र/पुत्री श्री [] निवासी []
के/की है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति [] का/की है।
प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर [] दिनांक []

हस्ताक्षर पटवारी
हलका नं

प्रमाण-पत्र

(i) गवाह* :

मैं [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
विभाग का नाम [] पद [] पर
कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,
प्रार्थी/प्रार्थीया [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति []
का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
विभाग का नाम [] पद [] पर
पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,
प्रार्थी/प्रार्थीया [] पुत्र/पुत्री श्री []
निवासी []
को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जनजाति की उपजाति []
का/की है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :-
आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकारें (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंभा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंभा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक सम्बन्धी/किरायानामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

गांव/शहर तहसील जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

(1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति का/की सदस्य हूँ।

(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंभा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

जाति का प्रमाण पत्र

आवेदक का आधार नम्बर _____

आवेदक/परिवार के मुखिया का सामाशाह कार्ड संख्या _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____

सुपुत्र/पुत्री _____

गांव/नगर _____

जिला/डिवीजन _____

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____

जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार जाति/अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश 1958, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1968, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित)

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1982, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी _____

और अथवा उसी परिवार _____

गांव/नगर _____

जिला/डिवीजन _____

राज्य। संघ राज्य क्षेत्र _____

में

सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर _____

पद नाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _____

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____

तारीख _____

कृपया उन शब्दों को हटा दीजिये जो लागू नहीं है।

विशेष ध्यान दें।

यहां प्रयुक्त हुए सामान्यतया रहता है। शब्दों का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनधित्व अधिनियम, 1950

की धारा 20 में है।

परिशिष्ट - क

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मर्दाने स्थानीय स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार प्रारम्भ में सम्मिलित की जा सकेगी)

प्रेषिती

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्टियाँ नीचे दे रहा हूँ:-

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या	

- 1- आवेदक का पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)
- 2- जन्म तिथि :
- 3- निवास का पूर्ण पता :
(क) वर्तमान
(ख) स्थाई
- 4- धर्म
- 5- जाति
- 6- उपजाति :
- 7- उपजीविका - वर्ग
- 8- अ.पि.व. की राज्य सूची में जाति का क्रम संख्यांक :
- 9- पिता का नाम
- 10- माता का नाम :
- 11- पति का नाम
- 12- माता-पिता/पति की प्रास्थिति

पिता

माता

पति

[क] संवैधानिक पद

[ख] पद नाम

[ग] सरकारी सेवायें

पिता

माता

पति

- (i) सेवा (केन्द्रीय/राज्य)
- (ii) पद नाम
- (iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।

- (iv) पद पर नियुक्ति की तारीख
 (v) वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू न हो)
- (ii) अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
 (ii) पद नाम
 (iii) सेवा की कालावधि (दिनांक से तक)
- (iii) मृत्यु/स्थायी अक्षमता (यदि लागू हो तो छोड़ दीजिए)
- (i) मृत्यु/अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।
 (ii) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा
 (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
 (ii) पद का नाम
 (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
 (घ) पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे)

- (i) पद नाम
 (ii) वेतनमान
 (ङ) व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
- (i) उप-जीविका/वृत्ति
 (च) सम्पत्ति के स्वामी

- (छ) कृषि जैसे (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)
- (1) अवस्थिति
 (2) जोत का आकार
 (3) क - सिंचित
 सिंचित मृमि का प्रकार
- 1.
 - 2.
 - 3.

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।
5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो—राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ग) बागान

- 1 फसल/फल
- 2 अवस्थिति
- 3 बागान का क्षेत्र

(घ) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

- 1 सम्पत्ति की अवस्थिति।
- 2 सम्पत्ति का ब्यौरा
- 3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

(ङ) आय/धन।

- (च) 1 समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वित्तों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
- 2 क्या करदाता है (हां/नहीं) () यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।
- 3 क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

(छ) अन्य कोई अम्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अम्युक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये भी उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपाबधित की जायें।

भवदीय,

स्थान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

फोटो

रजिस्ट्रेशन

दिनांक :

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने
के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या


यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री _____
राजस्थान राज्य के जिला _____ में ग्राम/नगर
_____ की निवासी हैं तथा वे/और या इनका कुटुम्ब यहां
स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ राज्य सरकार के सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड पी/एसजेईडी/
09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की
अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से _____
वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के
क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या
प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के
अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(राज्य के पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों
तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

परिशिष्ट- ग



रजिस्ट्रेशन

दिनांक :

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा
क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के
प्रमाण पत्र का प्रपत्र

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री _____
राजस्थान राज्य के जिला _____ में ग्राम/नगर
_____ की निवासी हैं तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां
स्थायी रूप से निवास करता/करती/करते हैं।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ राज्य सरकार के सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11 (164)आर एण्ड
पी/एसजेईडी/09/46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के विशेष
पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से
_____ वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के
क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या
प/7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के
अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(राज्य के विशेष पिछड़े के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों
और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

83

परिशिक्त-घ

THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

AADHAR NO OF APPLICANT	_____
BHAMASHA CARD NO OF APPLICANT/HEAD OF FAMILY	_____

This is to certify that Shri/Smt/Kumari _____ son/daughter of _____ of village/ town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belong to the _____ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of social justice and Empowerment's resolution no _____ dated.....* Shri/Smt/Kumari _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/division of the _____ the State/Union Territory . This is also to certify that he/she does not belong to the person/section (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the scheduled to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 - Estt (SCT) dated 8.9.1993**

District Megistrate
Deputy Commissioner etc .

Dated:

Seal

*The authority issuing the certificate may have to mention the detail of Resolution of Government of india , in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.
 **As amended form time to time

NOTE :- The term " Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

78

परिशिष्ट-इ

शपथ-पत्र/बयान

आवेदक का आधार नम्बर _____

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या _____

मैं पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी
 गांव/शहर तहसील जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :

- (1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति का/की सदस्य हूँ।
- (2) मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपायद्व अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग-1, समूह 'ख' वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
- (3) मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में पद पर कार्यरत है/थे।
- (4) मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय रुपये हैं।
- (5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (7) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वात्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलेयर का हूँ/नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांभा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

85

परिशिष्ट- च

पिछड़ा वर्ग साक्ष्य द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

(i) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम कार्यालय का नाम

पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम कार्यालय का नाम

पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति

का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

80

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

क्रमांक : 46(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011

जयपुर दिनांक : 18.3.2011

आदेश

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में गणनीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने के निर्णय दिये हैं। अतः ऐसे शंकास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, | सदस्य |
| 3. शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग | सदस्य |

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/Duties of the State Level Scrutiny Committee):-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न कार्य होंगे:-

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाणपत्र के मामले में नियोक्ता/शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रबंधन को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृत्तियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाणपत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सतर्कता अधिकारी को संबंधित जगह पर जांच करने की सूचना देना और उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलेन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की निशुक्ति आदि करना।

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की शक्तियां (Powers of State Level Scrutiny Committee) :-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की निम्न शक्तियां होगी-

1. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए शंकास्पद/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत् रखने या भंग करने की संपूर्ण शक्तियां समिति की होगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के प्रावधान के तहत की गई कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नहीं की जा सकती। परन्तु संविधान के अनुच्छेद-136 के अध्याधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती।
3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामले में बचाव का उचित भौका देना होगा।
4. बचाव की समय-मर्यादा में बढ़ोतरी की जा सकती है।
6. पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।
8. गलत प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अपमान मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।


जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनका निस्तारण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकेगी।

जाति प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का रख-रखाफ-

जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिनका संभारण जिस प्रकार से राजस्व प्रकरणों में दर्ज किया जाता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये, जिस कारण में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, वह अच्छी किस्म का, लेमिनेटेड हो। जाति प्रमाण पत्र की काउण्टर फाइल, अनुक्रमांक, दर्शन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुद्रा, तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से,


राज्य स्तरीय सचिव

क्रमांक . प.6(10)प्र.सु.वि./अनु-3/2011

जयपुर दिनांक 18.3.2011

पतिमिति निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष, राज्य मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/सज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख सासन सचिव/सासन सचिव, सासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, सासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान, लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. समस्त समागीय आयुक्त.....।
13. समस्त जिला कलक्टर.....।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक.....।
15. सचिव, समस्त आयोग/शेड.....।
16. उप निदेशक /सहायक निदेशक/जिला परिधीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।

नोट : पतिमिति में समिति से संबंधित पत्र व्यवहार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से करें।


अनुभागाधिकारी

पौरशिष्ट: बी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प. 6(10)प्र.सु./अनु3/2011

दिनांक: 23-7-2015

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकरस्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में मानीनय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकरस्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

■ जिला स्तरीय

- | | |
|---|---------|
| 1. जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) | समन्वयक |
| 3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परीषद | सदस्य |
| 4. संवधित उप जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड अधिकारी | सदस्य |
| 5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | सदस्य |

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जावेगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संधारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. समिति में झूटे, फर्जी एवं शंकरस्पद जाति प्रमाण-पत्रों के मामलों दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/ अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संवधित पक्षों को दी जावेगी। न्यायालिय की स्थिति में उसके माता-पिता / संरक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के समय संबंधित पक्षों तथा शिकायतकर्ता एवं जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अपसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगे।
4. जाति प्रमाण पत्र के संघर्ष में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिराके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर वह राज्य स्तर छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 8(10) प्र0सु0वि0/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवायी करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (unfit) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मामलों में नियोक्ता/ शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महागृहम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
- 5) निजी सचिव, समस्त मंत्रिमण/ राज्य मंत्रिमण राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) समस्त विभागध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12) समस्त संभागीय आयुक्त.....
- 13) समस्त जिला कलेक्टर.....
- 14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
- 15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
- 16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....

शासन उप सचिव

पारितोषिक: सी

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक: एफ 11(1)() छा.स./आरएण्डपी/सान्याअवि/12/1/1 जयपुर, दिनांक: 04-08-2014

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में राज्य स्तरीय छानबीन समिति की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर निम्न प्रकार से एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिनमें निम्न अधिकारी होंगे :-

1. उप निदेशक (पि.जा) मुख्यालय।
2. मुख्यालय में पदस्थापित विधि सहायक/विधि अधिकारी।
3. सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी।
4. सम्बन्धित संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विभाग, जयपुर।

यह प्रकोष्ठ झूठे/शंकास्पद जाति प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं जिला कलक्टर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट को राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सम्बन्धित पत्रावली पर अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगा। इस कार्य हेतु (उप निदेशक, पिछड़ी जाति) प्रभारी अधिकारी होंगे।

(डॉ. मनजीत सिंह) 4/8/14
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 11(1)()/छा.स./आरएण्डपी/सान्याअवि/12/1/1 जयपुर, दिनांक: 04-08-2014
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (पिछड़ी जाति) मुख्यालय।
6. विधि सहायक/विधि अधिकारी, मुख्यालय।
7. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव